रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 623] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 19, 2000/अग्रहायण 28, 1922

No. 623] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 19, 2000/AGRAHAYANA 28, 1922

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2000

सं. 147/2000 सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 919(अ).—चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के उपशीर्ष सं. 2834.10 के अन्तर्गत आने वाले सोडियम नाइट्राइट के आयात के मामले में अभिहित प्राधिकारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 6 अप्रैल, 2000 में प्रकाशित अपने प्रारंभिक निष्कर्षों में इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि—

(क) चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादित या वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्राइट का भारत को निर्यात सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है;

(ख) भारतीय उद्योग को तात्विक क्षति पहुंची है;

(ग) विषयगत देश से संचयी रूप से आयात द्वारा क्षति कारित हुई है;

और अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर केंद्रीय सरकार ने सा.का.नि. 484(अ) तारीख 23 मई, 2000 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 23 मई, 2000 में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 76/2000-सीमा-शुल्क तारीख 23 मई, 2000 द्वारा प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया था;

और अभिहित प्राधिकारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 3 नवम्बर, 2000 में प्रकाशित अपने अन्तिम निष्कर्षों में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि—

(क) चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादित या वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्राइट का भारत को निर्यात सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है;

(ख) भारतीय उद्योग को तात्विक क्षति पहुंची है;

(ग) विषयगत देश से संचयी रूप से आयात द्वारा क्षति कारित हुई है;